

चूनतम मजदूरी अधिनियम—1948 के अन्तर्गत 59 अनुसूचित नियोजनों में
देय परिवर्तनीय महगाई भत्ता

चूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत राजाज्ञा रां 401/36-3-06-7(चू० वै०)/04 दिनांक 24.02.2006 से मजदूरी की मूल दरों एवं परिवर्तनीय महगाई भत्तो का निर्धारण किया गया है। मजदूरी दरों गारिक आधार पर निकाली गई हैं, जिसकी दैनिक दर, मूल मजदूरी और परिवर्तनीय महगाई भत्तो के 1/26 से कम न होगी। उत्तर के अनुक्रम में निम्नांकित 59 नियोजनों ने नियोजित कर्मचारियों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (1982=100) के 522 अंकों के लिए जानवरी 2012 से जून 2012 तक औरत 939 (नी स्त्री उन्नतिलिंग मात्र) पर दिनांक 01.10.2012 से दिनांक 31.03.2013 तक तथा जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012 के औरत 939 (नी स्त्री निच्यानबे मात्र) पर दिनांक 01.04.2013 से दिनांक 30.09.2013 तक परिवर्तनीय महगाई भत्ता निम्नलिखित दृष्टान्त की मौति गणना करके देय है :-

दृष्टान्त :- रुपये 2600.00 प्रतिशत मजदूरी पाने वाले अक्षुश श्रेणी के कर्मचारियों को असार मूल्य सूचकांक 999 पर दिनांक जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012 के औरत 939 (नी स्त्री निच्यानबे मात्र) पर दिनांक 01.04.2013 से दिनांक 30.09.2013 तक देय परिवर्तनीय महगाई भत्ता निम्नलिखित होगा :-

(999-522)

$$----- \times 2600 = ₹ 0.2375.86 \text{ प्रतिशत}$$

522

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रति माह परिवर्तनीय महगाई भत्ता/गारिक मजदूरी/दैनिक मजदूरी वी दरों निम्नलिखित हैं :-

क्र.	श्रेणी (रुपये में)	निर्धारित प्रतिशत मजदूरी (रुपये में)	प्रतिशत परिवर्तनीय महगाई भत्ता (रुपये में)		प्रतिशत कुल मजदूरी (रुपये में)	दैनिक मजदूरी दरें (रुपये में)
			दिनांक 01.10.2012 से 31.03.2013 तक	दिनांक 01.04.2013 से 30.09.2013 तक		
1	2	3	4	5	6	7
1	अलूशल	2600.00	2077.01	2375.86	4975.86	191.38
2	अक्षुश कुशल	2964.00	2367.79	2708.48	5672.48	210.17
3	कुशल	3290.00	2628.22	3006.38	6296.38	242.17

नियोजनों के नाम :-

1. रबर वी विनिर्माणशाला और रबर उत्पाद (टायर और ट्यूब सहित) के उद्योग।
2. प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पाद के उद्योग।
3. गिरिजान उद्योग।
4. वासित पेयो (एरेटेड ड्रिबल) के विनिर्माण।
5. फलों के सर्वों की विनिर्माणशाला।
6. पर्सायार लकड़ी (लाइनुड) के उद्योग।
7. पेट्रोल और दीजल आर्येल एप्प।
8. डेरी और गिर्ल डेरी।
9. रिले रिलायं कपड़ों की विनिर्माणशाला।
10. शोध तटवन्य के निर्माण और अनुसंधान, सिंचाई परियोजनाओं युआओं और तालावों की खुदाई।
11. उन समस्त रजिस्ट्रीकूल कारखानों में नियोजन, जिनका उल्लेख पहले नहीं किया गया है।
12. प्राइवेट कल्निकों और प्राइवेट डाकटरी सामान की दुकानों।
13. ढुलाई घर।
14. धानु उद्योग।
15. टिन प्लेट बोरिंग और टिन प्रिंटिंग।
16. ऐसे अभियन्त्रण उद्योग जिसने 50 से कम व्यक्ति नियोजित हों।
17. चर्च शोधनशाला और चर्च विनिर्माण शाला।
18. चर्च वस्तु विनिर्माण उद्योग।
19. होजरी राकर्म।
20. निजी पुस्तकालय।
21. काष्ठ संकर्म और कर्नीचर उद्योग।
22. प्राइवेट कोयिंग कक्षाओं प्राइवेट विद्यालयों, जिनमें नर्ती रक्कूल और निजी प्राविधिक सरस्थाएं भी सम्मिलित हैं।
23. ताबाकू विनिर्माण।
24. धर्मशाला।
25. वाणिकी (फारस्टी) लद्दा बाजाने और काष्ठ कार्य, जिसके अन्तर्गत किसी अन्य बन उपज का संग्रहण और उसे मण्डी में ले जाना भी है।
26. दुकान।
27. वाणिज्य अधिकारी।
28. यावल मिल, आटा मिल या चाल मिल।
29. तेल मिल।

449

30. लोक मोटर परिवहन।
31. यांत्रिक परिवहन कर्मशाला।
32. आटोमोबाइल रिपेयर सर्विस कर्मशाला।
33. साफकॉर्ट के निर्माण या उन्हें बनाये रखने या निर्माण संक्रियाओं।
34. पथर तोड़ने या पथर कूटने।
35. दियासलाई उद्धोग।
36. आइसकैफ्ली / आइस्ट्रीम विनिर्माणशाला।
37. बफ्फ विनिर्माणशाला।
38. एवेस्टर सीमेन्ट ब्रारखानों और अन्य सीमेन्ट उत्पाद विनिर्माणशाला।
39. लाप्टॉप और गुलाई अधिकान।
40. बैकरी और बिस्कूट विनिर्माणशाला।
41. चिकन के कार्बी।
42. जिल्डसाजी।
43. कोल्ह स्टोरेज।
44. पाटरी, सिर्पिलस या रिफिनेट्रीज।
45. नियो गुदणालय।
46. रिनेना उद्योग।
47. एप्लाय उपाइ।
48. रिलाई उद्योग।
49. एलोपेनिक, आयुर्वेदिक, यूनानी फार्मसी।
50. कल्ब।
51. हथकरघा (सेल्क की साझी की तुनाई) जरी के कार्ब।
52. कैमड़ा थोड़े या प्रशालन के साधन या रिसिकेट या सादुन का चूर्ण या प्रशालक विनिर्माण।
53. ऊंगी कन्धल बनाने के अधिकान।
54. खाड़कासी।
55. हथकरघा उद्योग।
56. शारित वालित वारधा उद्योग।
57. छोटा (गिनिएवर) बल्च एप्ल कॉव उत्पादों के निर्माण।
58. कागज, गता और पेपर बोर्ड उद्योग।
59. ईट गढ़ा उद्योग।

(यूपीओसिंह)

उप अम आयुक्त, उत्तर प्रदेश,
कृते अम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय अम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी० टी० रोड, कानपुर।

पत्र सं०- 1021-२६

/प्रवर्तन०- (म० भला) /१३

दिनांक ०१.०५. 2013

प्रतिलिपि :-

1. समरत क्षेत्रीय अपर / उप अम आयुक्त, उ०प्र०, को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को ज्ञागत कराये तथा अधिकों, सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मौंगे जाने पर उपलब्ध यत्ताएँ।
2. अनुसंधान उ०प्र० शासन, अम अनुग्रह-३, लखनऊ।
3. सहायक निदेशक, अम एवं रोजगार मंत्रालय (वैज सेल) भारत सरकार नई दिल्ली को।
4. विकास आयुक्त नोएडा विलेज आर्थिक क्षेत्र।
5. अधिकासी निदेशक उद्योग बंधु लखनऊ।
6. अपर श्राव्यकृत, (नजारत) को नोटिस बोर्ड पर चाला करने हेतु।
7. अपर श्राव्यकृत, (आई०आर०), मुख्यालय।
8. अपर श्राव्यकृत, (कम्प्यूटर), मुख्यालय को समर्त क्षेत्रीय अपर / उप अम आयुक्त एवं सहायक निदेशक, भारत सरकार को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित कराने तथा विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
9. उप अम आयुक्त (पुस्तकालय), मुख्यालय को सूचनार्थ / अभिलेखार्थ प्रेषित।
10. विभिन्न दीनिक समाचार-पत्रों को जनहित में नियुक्त प्रकाशनार्थ।

(यूपीओसिंह) १५/२०३

उप अम आयुक्त, उत्तर प्रदेश,
कृते अम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।